न्याय बता...
कोर्ट इस हुक्म...
तामील में जारी हु...

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 70 / 2016

बउनवान

ओमप्रकाश पुत्र बेनीराम, जाति लश्करी, साकिन आमा तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता जिला बारां (राज0)
(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

निर्णय दिनांक– 12.09.2023

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 10.12.2015 से अप्रसन्न होकर अंपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम माल आमा तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 148 कुल रकबा 1.32 है. मे से रकबा 0.16 है. किस्म–गै.मु. बरडा पर अतिक्रमी मानकर 80 / –रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये, बगैर किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य लिये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी झूटी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। अपीलांट द्वारा तावान की राशि भी जमा करवा दी है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है, जिसका उक्त विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है। अतः अपील स्वीकार की अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.12.2015 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल [illegible] तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार को बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.11 16:38:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये, बगैर किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य लिये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी झूटी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट

को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। अपीलांट द्वारा तावान की राशि भी जमा करवा दी है। अपीलांट का उक्त विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.12.2015 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर संवत् 2071 में बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत् नोटिस जारी कर, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 148 कुल रकबा 1.32 में से रकबा 0.15 है., किस्म–गै.मु. बरड़ा ग्राम आमा पर सम्वत् 2071 में भी अतिक्रमण किया था, जिसे बेदखल किया जाना पटवारी हल्का के बयान से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 446/2015 में पारित निर्णय दिनांक 10.12.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.11 16:38:11 IST
Reason: SelfAttested